Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 21-12-2005

Participants : Yadav Shri Devendra Prasad

an>

Title : Need to ban commercial use of National symbol.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, संसद में राट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2005 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक राट्रीय प्रतीकों का वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा तथा राट्रीय प्रतीकों का अपमानजनक प्रयोग किया जाना दण्डनीय अपराध होगा।

मैं आपका ध्यान इस विधेयक के उपबंधों के उल्लंघन की ओर आकृट करना चाहता हूं। भारत का राट्रीय प्रतीक तिरंगा के नाम से घातक बीमारियों को जन्म देने वाला गुटखा 'तिरंगा' बहुत दिनों से बाजार में बिक रहा है। तिरंगा नाम के गुटखे का निर्माता कानपुर की कम्पनी है। खास कर यह गुटखा बिहार के उत्तर पश्चिम जिलों में भारी मात्रा में बिक रहा है। इस गुटखे के पाउच पर तिरंगा झंडा है। गुटखे को खाने वाले लोग गुटखे खाकर सड़कों पर खाली पाउच फेंक देते हैं, जिस पर तिरंगा अंकित होता है। पैदल यात्री उसे जूते चप्पल से रौंदते हुए चलते हैं, जिससे राट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडे का घोर अपमान होता है। तिरंगा का चित्र होने के कारण यह गुटखा काफी लोकप्रिय रहा है। बिहार में इस गुटखे पर आधारित भोजपुरी में लोक गीत भी बना है जो हिट हो गया।

महोदय, लोक गीत के मुखड़े के बोल हैं - खालू तिरंगा, गोरिया फाड़के जा झाड़के, इस गाने का अर्थ है, तिरंगा फाड़कर खालो और तेजी से जाओ। इस गाने से भी राट्रीय प्रतीक तिरंगे का अपमान होता है। इस गाने पर भी रोक लगायी जानी चाहिए।

तिरंगे का वाणिज्यिक उपयोग बहुत दिनों से किया जा रहा है। लेकिन राट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, 2005 पारित हो जाने के बाद तिरंगा को वाणिज्यिक उपयोग तथा अपमान को सख्ती से रोकने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए तथा किसी भी व्यापार वस्तु के लिए ट्रेड नेम तिरंगा नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए।